



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1799]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2008/पौष 2, 1930

No. 1799]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2008/PAUSA 2, 1930

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2962(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ चौरानवेवाँ संशोधन नियम, 2008 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
(1) प्रथम अनुसूची में, “15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत, “(iii) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” उपशीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“ (iv) एड्स नियंत्रण विभाग।”
(2) द्वितीय अनुसूची में,—
(क) “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” शीर्षक के अंतर्गत,—
(i) “क. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग” उपशीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि “1(ध)” का लोप किया जाएगा;
(ii) “ग. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” उपशीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
“घ. एड्स नियंत्रण विभाग
1. एच आई वी/एड्स नियंत्रण और निवारण से संबंधित क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के अधीन अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-संगठनात्मक और अंतर-संस्थागत समन्वय।
2. एच आई वी/एड्स के नियंत्रण, निवारण, ईलाज और प्रबंधन के लिए उच्च उद्देश्यार्थ अनुसंधान हेतु संस्थागत ढांचा मुहैया कराना तथा इस संबंध में सभी समन्वय।
3. लोगों को प्रेरित, सुसज्जित और सशक्त करने के लिए एच आई वी/एड्स के बारे में सटीक, पूर्ण और समय पर सूचना का प्रसार तथा बीमारी के फैलाव के विरुद्ध कारगर बचाव के लिए उपायों का संवर्धन।
4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)।

5. एच आई वी/एड्स प्रबंधन और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कार्यक्रमों का आदान-प्रदान और उच्च प्रशिक्षण ।
6. एच आई वी/एड्स निवारण के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना ।”

प्रतिभा देवीसिंह पाटील,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2008-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2008

S.O. 2962(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninety Fourth Amendment Rules, 2008.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
 - (1) in the FIRST SCHEDULE, under the heading “15. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)”, after the sub-heading “(iii) Department of Health Research (Swasthya Anusandhan Vibhag)”, the following sub-heading shall be inserted, namely :—
“(iv) Department of AIDS Control (AIDS Niyantaran Vibhag).”
 - (2) In the SECOND SCHEDULE,—
 - (A) under the heading “MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)”,—
 - (i) under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN VIBHAG)”, entry “1 (q)” shall be omitted;
 - (ii) after the sub-heading “C. DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (SWASTHYA ANUSANDHAN VIBHAG)” and entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—
“D. DEPARTMENT OF AIDS CONTROL (AIDS NIYANTHAN VIBHAG)”
 1. Inter-sectoral, inter-organisational and inter-institutional coordination, both, under the Central and State Governments in areas related to HIV/AIDS control and prevention.
 2. Providing institutional framework for high end research for control, prevention, cure and management of HIV/AIDS and all coordination in this regard.
 3. Dissemination of accurate, complete and timely information about HIV/AIDS to motivate, equip and empower the people and promotion of measures for effective protection against the spread of the disease.
 4. National AIDS Control Organisation (NACO).
 5. International co-operation, exchange programmes and advanced training in HIV/AIDS management and research.
 6. Promoting research studies in the field of HIV/AIDS prevention.”

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2008-Cab.]

K. L. SHARMA, Director